

विज्ञापित

शिक्षता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण एवं भता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा। ट्रेड वाइज विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Trade	No. of Apprentice
1.	Turner	2
2.	Welder	3
3.	Electrician	4
4.	Electrician	1 (For Buliding Work in AC Suppily)
5.	Carpenter	3
6.	Sheet Metal	2
7.	Diesel Mechanic	9
8.	Motor (Mechanic Vehicle)	4
9.	Tyre Repairer (Only For Non ITI)	2
10.	Steno (Hindi)	1
11.	Copa	1
12.	Plumber	1
13.	Total	33

नोट :- शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया :-

1. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाईन पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाईन आवेदन दिनांक 04.08.2025 से 14.08.2025 तक करें। ऑनलाईन आवेदन करते समय उम्मीदवार अपना फोटो, दसवीं की अंकतालिका, आई.टी.आई पास की अंकतालिका, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करें व उम्मीदवार का प्रोफाइल आधार वैरिफाईड होना बहुत ही आवश्यक है।
2. उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन करने के बाद अपना अप्रेंटिसिप प्रोफाइल व उपरोक्त सभी संबंधित दस्तावेजों दिनांक **19.08.2025 से 20.08.2025** तक कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, नया बस स्टैंड अम्बाला शहर में जमा करवाना होना।
3. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त/अपूर्ण आवेदन बिना किसी सूचना के रद्द किए जाएंगे।

चयन प्रक्रिया :- उम्मीदवार का चयन महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला द्वारा गठित कमेटी/सब कमेटी द्वारा आवेदनों को चैक करने के बाद दसवीं तथा आई.टी.आई में प्राप्त प्रतिशत अंकों की मैरिट आधार पर किया जाएगा।

सामान्य निर्देश :-

1. उम्मीदवार का प्रोफाइल आधार वैरिफाईड होना चाहिए।
2. उम्मीदवार हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है (Domicile of Haryana) या हरियाणा राज्य के अधीन मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं पास होना अनिवार्य है।
3. उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि पोर्टल पर दसवीं एवं आई.टी. आई. की मार्कशीट पर सामान होना चाहिए।
4. पोर्टल पर उम्मीदवार की प्रोफाइल में दसवीं और आई.टी.आई. ट्रेड का विवरण तथा उसकी माता का नाम होना अनिवार्य है।

5. चयनित उम्मीदवार की ज्वाइनिंग सहायक शिक्षता सलाहकार अम्बाला द्वारा कोन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के बाद ही प्रदान की जाएगी।
6. शिक्षता प्रशिक्षण कोन्ट्रैक्ट हरियाणा राज्य परिवहन में रोजगार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।
7. प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद हरियाणा राज्य परिवहन में प्रशिक्षु को नियमित नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और उम्मीदवार इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा।
8. उम्मीदवार को समय-समय पर अपनी ई-मेल को चैक और चयन प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है।
9. आरक्षण शिक्षता अधिनियम 1961 व शिक्षता नियम 1992 के प्रावधान के अनुसार लागू किया जाएगा। एस.सी./बी.सी.ए./बीसीबी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीकरण के समय इसका विवरण देना होगा। संबंधित दस्तावेज दिनांक 19.08.2025 से 20.08.2024 तक कार्यालय में जमा करवाना होगा। अन्यथा उसे जनरल में विचारा जाएगा।
10. चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण के समय कार्यालय द्वारा कोई क्वार्टर/हास्टल/फ्री परिवहन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
11. महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन अम्बाला के पास अप्रेंटिशिप विज्ञापित में वर्णित रिक्तियों को घटाने/बढ़ाने/रद्द करने का अधिकार है।

हस्ता/-आदेशानुसार
महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला।